न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

UPUN010016012026

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-689/2026

1- रामनाथ गौतम स्व० गोकुल प्रसाद

2- राम सिंह गौतम उर्फ पिण्टू पुत्र रामनाथ गौतम

3- शिवविलास पुत्र कुंज बिहारी

निवासीगण-उम्मरपुर प्रीतम, थाना-फतेहपुर चौरासी, जिला-उन्नाव।

.....अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी.जी.सी. (क्रिमिनल) उन्नाव।

.....विपक्षी।

दिनांक-24.03.2026

अभियुक्तगण रामनाथ गौतम, राम सिंह गौतम उर्फ पिण्टू व शिवविलास ने यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र मु०अ०सं०-194/2025 अन्तर्गत धारा-115(2), 352, 351(3), 333, 110 बी.एन.एस., थाना-फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, दिनांक 12.05.2025 की रात्रि लगभग 11:00 बजे वादी रामप्रसाद दरवाजे के सामने बने बरामदे में लेटा था, तभी रामनाथ, पिण्टू, रामविलास व रमेश आ गये, जो रंजिशन गन्दी-गन्दी गालियां देते हुये उसे लाठी-डण्डों से मारने लगे। उसके चिल्लाने पर सूरज बचाने लगा तो उक्त लोग उसे भी मारने लगे। वादी जान बचाकर अपने घर में घुस गया तो उक्त लोग भी घर में घुस गये और मारने लगे। चीख-पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े, जिन्हें आता देख उपरोक्त लोग धमकी देते हुये कहने लगे कि आज तो बच गये, किसी दिन जान से मार देंगे। वादी के सिर में चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया। अतः रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गई है।

अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि, वे निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि उन्हें फर्जी व रंजिशन फंसाया गया है। उसको अपराध सं०-190/2025 दिनांक 12.05.2025 को रामप्रसाद, दिनेश, रोशन, सूरज व अभिषेक ने मिलकर मारा-पीटा था, उसी से बचने के लिये उक्त लोगों ने उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। उनका इस न्यायालय में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र है। इसके पूर्व में न तो कोई प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है, न ही खारिज हुआ है और न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि, अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर, गन्दी-गन्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुये उसे व सूरज को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा गया। उक्त अभियोजन कथानक की पुष्टि केस डॉयरी के पर्चा नं०-2 पर अंकित वादी मुकदमा रामप्रसाद व अन्य चोटहिल सूरज के बयान से होती है।

मजरूब रामप्रसाद की चिकित्सीय आख्या के अनुसार उसके कुल 07 चोटें पाई गई हैं, जिसमें चोट सं०-3 को जेरे निगरानी रख उसे एक्सरे हेतु रेफर किया गया। अन्य चोटें साधारण प्रकृति की अंकित हैं। मजरूब सूरज को एक चोट साधारण प्रकृति की आना अंकित है। मजरूब रामप्रसाद की एक्सरे रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर न पाया जाना अंकित है। सम्बन्धित थाने द्वारा अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त मामले में बाद विवेचना आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा अब कोई साक्ष्य संकलन शेष नहीं है। अभियुक्तगण ने दौरान विवेचना धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण-दोष पर कोई टीका-टिप्पणी किये हुये बगैर, अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण रामनाथ गौतम, राम सिंह गौतम उर्फ पिण्टू व शिवविलास की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-689/2026 सम्बन्धित मुकदमा अपराध सं०-194/2025 अन्तर्गत धारा-115(2), 352, 351(3), 333, 110 बी.एन.एस., थाना-फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु०-40,000-40,000/-(चालीस-चालीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र व समान धनराशि की दो-दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. अभियुक्तगण विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे तथा साक्षीगण पर बेजा दबाव नहीं डालेंगे।

2. दौरान विवेचना/विचारण साक्षीगण को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे तथा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे।

3. अभियुक्तगण बिना न्यायालय की अनुमति के प्रदेश/देश नहीं छोड़ेंगे।

दि0–24.03.2026

(महेन्द्र कुमार सिंह)
[J.O. Code–UP 1776]
प्रभारी सत्र न्यायधीश, उन्नाव।

अनुराग निषाद/–